कम्प्यूटर परिपत्र सं०-1920005 दिनांक 10-04-2019

पत्र संख्या-सी0सी0टी0/निरी0अनु0/(2019-20)-टैक्स आडिट// 46 //वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(निरीक्षण-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक :: 10 , अप्रैल, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(टैक्स ऑडिट)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय के परिपत्र सं0-सी0सी0टी0/निरी0अनु0/(2018-19)-टैक्स आडिट// 512/ 1819025/ वाणिज्य कर, दिनांक 07-08-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा टैक्स ऑडिट हेतु वर्ष 2016-17 के वादों का चयन करते हुये टैक्स ऑडिट वादों के निष्पादन की व्यवस्था की गयी है, किन्तु उक्त परिपत्र में वादों का टैक्स ऑडिट करके कर निर्धारण अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित करने की अन्तिम तिथि का उल्लेख नहीं हैं ।

आप अवगत हैं कि दिनांक 01-07-2017 से जी0एस0टी0 व्यवस्था लागू हो गयी है जिसमें रिटर्न आदि की समीक्षा का कार्य किया जाना आवश्यक है किन्तु वैट वादों के निस्तारण मे अधिकारियों के व्यस्त रहने के कारण रिटर्न आदि की समीक्षा हेतु पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है । इसप्रकार यह आवश्यक है कि वैट व्यवस्था के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाये ।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2016-17 हेतु आडिट हेतु चयनित समस्त वादों का टैक्स आडिट का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 30-06-2019 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।